

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)विभाग

क्रमांक:पं02(01)चिस्वा/2/2024/ई-14594

जयपुर, दिनांक:

निदेशक(जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0जयपुर।

विषय:-डॉ. दिनेश शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग), राजकीय डिस्पेंसरी, गंगाशहर, बीकानेर को विभागीय जांच लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि डॉ. दिनेश शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग) (जन्मतिथी 05.06.1962), राजकीय डिस्पेंसरी, गंगाशहर, बीकानेर, जो 62 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, के विरुद्ध आज तक :-

- 1- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
डॉ. शर्मा के विरुद्ध आपके अभिलेख अनुसार कोई विभागीय जांच इत्यादि लम्बित नहीं है भी सुनिश्चित करें।

भवदीया

(निशा मीना)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- अतिरिक्त निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर ।
- 2- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
- 3- डॉ. दिनेश शर्मा, वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग) (जन्मतिथी 05.06.1962), राजकीय डिस्पेंसरी, गंगाशहर, बीकानेर ।
- 4-रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल।

शासन संयुक्त सचिव

RajKaj Ref
6868362

Document certified by NISHA MEENA
<nisha281073@yahoo.co.in>

Digitally Signed by Nisha Meena
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :01-05-2024 01:44:24

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./डी-101/2024/107-B

दिनांक : 13.5.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग राज0 जयपुर को उनके पत्रांक प02(01)चिस्वा/2/2024/ई-14594 जयपुर दिनांक 01.05.2024
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, बीकानेर
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन बीकानेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि चिकित्सक के विरुद्ध आप अपने कार्यालय स्तर पर विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन के संबंध में जांच कर लें।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एटी/डीपीसी (राजपत्रित) अनुभाग मुख्यालय ।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें ।
7. डॉ0 दिनेश शर्मा वरिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र रोग), द्वारा उनके नियन्त्रण अधिकारी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref
6993089



Signature valid

Digitally signed by Raj Prakash
Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.05.08 15:25:31 IST
Reason: Approved